वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, द्विसदस्यीय पीठ–देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान,एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,
अंजलि बैंजवाल.....सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 10/2025 (2015–2016) धारा 25(7)

आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

बनाम

सर्वश्री एम0बी0एल0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 88 ओल्ड कनाट प्लेस, देहरादून

अपीलार्थी की ओर से : श्री भुवन चन्द्र पाण्डे..... राज्य–प्रतिनिधि।
प्रत्यर्थी की ओर से: श्री राजीव वासन.....अधिवक्ता।

–: निर्णय :–

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष

प्रस्तुत द्वितीय अपील विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील संख्या 53/2024 में पारित आदेश दिनांक 30/08/2024 के विरूद्ध योजित की गयी है। आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24/06/2023 को अपास्त करते हुए व्यापारी/विपक्षी को अतिरिक्त जमा धनराशि रु0 99,04,342/– वापस करने हेतु आदेशित किया गया।

अपील के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी फर्म सिविल संविदा से संबंधित कार्य करने के लिए विभाग में पंजीकृत है। संबंधित वर्ष में विपक्षी द्वारा व्यापार कर के विकल्प के रूप में समाधान राशि का विकल्प स्वीकार करते हुए संविदा कार्यों के एवज में प्राप्त धनराशि पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान शुल्क जमा किया। विपक्षी फर्म का कर निर्धारण दिनांक 24/06/2023 को एकपक्षीय रूप से करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सिविल कार्य हेतु प्राप्त भुगतान रु0 9,00,00,000/–पर 6 प्रतिशत की दर से रु0 54,00,000/– शुल्क निर्धारित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 24/06/2023 के विरूद्ध विपक्षी फर्म द्वारा प्रथम अपील दायर की गयी, जिसे स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा टीडीएस के रूप में जमा धनराशि व अन्य जमा धनराशि का समायोजन समाधान

राशि में करने के उपरांत अधिक जमा धनराशि रु0 99,04,342/– विपक्षी फर्म को वापस करने के आदेश दिये गये।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30/08/2024 से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील इन आधारों पर योजित की गयी है कि संगत वर्ष हेतु विपक्षी का सकल आवर्त रु0 57,55,25,397 आगणित होता है, जिस पर टीडीएस के रुप में रु0 3,45,31,524/– प्राप्त हुए हैं, किन्तु कटौती का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा अपील मेमो में दूसरा आधार यह लिया है कि विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) के द्वारा व्यापारी द्वारा दाखिल प्रथम अपील संख्या 278/2017 तथा 279/2017 वर्ष 2015–16 अन्तर्गत धारा 49 (8) में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध पारित अर्थदण्ड आदेश को अपास्त करते हुए अर्थदण्ड की धनराशि का समायोजन विपक्षी की संगत वर्ष की कर देयता/शुल्क से किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस द्वितीय अपील में एक अन्य आधार यह लिया गया है कि संगत वर्ष में विपक्षी को संविदा कार्यों के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा से प्राप्त सकल धनराशि रु0 39,34,23,005/– पर समाधान शुल्क का आगणन किया जाना चाहिए था, किन्तु उसके स्थान पर शुद्ध भुगतान की राशि रु0 23,08,90,182/– पर समाधान शुल्क का आगणन निर्धारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामले में यह निर्विवाद है कि विपक्षी के द्वारा संगत वर्ष में अविभाजित सिविल संविदाओं के निष्पादन में प्रयुक्त माल के स्वामित्व के अंतरण पर देय कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा लागू की गयी एकमूश्त समाधान योजना को 6 प्रतिशत की दर से शुल्क भुगतान का विकल्प चुना गया है।

प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि समाधान शुल्क का आगणन संविदा की सकल धनराशि पर किया जाना, विधि संगत है या फर्म के द्वारा प्राप्त भुगतान पर किया जाना विधि संगत है ?

कर निर्धारण आदेश में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के सिविल कार्य हेतु प्राप्त भुगतान रु0 9,00,00,000/– माना है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्राप्त भुगतान की धनराशि रु0 41,39,90,552/– पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि नियत की गयी है तथा टीडीएस के रुप में रु0

3,45,31,524/– की कटौती तथा द्वितीय अपील दायर करते समय जमा की गयी धनराशि रु0 1,00,000 /– तथा अधिनियम की धारा 39 (8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड में रूप में आरोपित धनराशि रु0 51,200/– तथा रु0 61,184/– (जिस अर्थदण्ड को द्वितीय अपील में अपास्त कर दिया गया था) को समाधान राशि से समायोजित करते हुए विपक्षी फर्म को रु0 99,04,342/– वापस किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के सुसंगत अंश निम्न प्रकार हैं–

"अपीलकर्ता द्वारा पूर्व में कर निर्धारण स्तर पर दाखिल की गयी आयातित खरीद की सूची में पायी गयी विसंगतियों के उपरान्त अपील स्तर पर संशोधित खरीद सूची प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार संविदाकार द्वारा आलोच्य वर्ष में 227 आयात घोषणा पत्र का प्रयोग करते हुए संगत वर्ष हेतु प्रान्त बाहर से रु0–35,82,68,254.00 धनराशि के माल का आयात किया गया है, जिसमें से रु0–1,35,36,975.00 के आयातित मूल्य का इस्तेमाल संविदाओं में करते हुए शेष रु0–34,47,31,284.00 कैपिटल गुड्स/मशीनरी से संबंधित खरीद की गयी है। अपीलकर्ता द्वारा संगत वर्ष में जारी प्रपत्र–सी की अनुमन्यता के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी जांच करेंगे, यदि किसी प्रपत्रों का अनाधिकृत प्रयोग पाया जाता है तो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अर्थदण्ड की कार्यवाही करेंगे। चूंकि अपीलकर्ता के द्वारा संगत वर्ष में 06 प्रति0 की दर से समाधान राशि अपनाने का विकल्प लिया गया है, अतः संगत वर्ष में संविदाकार को प्राप्त कुल भुगतान की राशि रु०–41,39,92,592.00 पर 06 प्रति0 की दर से रु0–2,48,39,556.00 समाधान राशि नियत की जाती है। संविदी विभागों द्वारा टीडीएस के रूप में रु0–3,45,31,524.00 की कटौती करते हुए राजकोष में जमा किया गया है, जिसके संबंध में संविदी विभाग द्वारा जारी दो प्रारूप–8 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त टीडीएस कटौती के संबंध में दो प्रमाण पत्र कार्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिसमें सहायक आयुक्त राज्य कर, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–70 दिनांक 03.05.2024 द्वारा रु०–2,35,45,379.00 की धनराशि का प्रमाण पत्र संविदी विभाग Exe eng cons Div-2 PWD Almora द्वारा टीडीएस की कटौती की गयी है एवं सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड–02, रूद्रपुर के पत्र संख्या–97 दिनांक 29.05.2024 द्वारा रु0–1,09,86,145.00 की धनराशि का प्रमाण पत्र संविदी विभाग Exe eng cons Div PWD Rudrapur के द्वारा टीडीएस कटौती की गयी है। इस प्रकार संविदाकार का कुल रु0–3,45,31,524.00 की टीडीएस कटौती हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपीलकर्ता के द्वारा प्रथम अपील दाखिल करते समय रु0–1,00,000.00 अधिनियम की धारा–51 (4ए) के अन्तर्गत जमा किए गए हैं। इस प्रकार कुल जमा धनराशि रु०–3,46,31,524.00 का समायोजन उक्त

समाधान राशि रु०–2,48,39,566.00 से करने के उपरान्त रु0–97,91,958.00 अधिक जमा है।

संगत वर्ष में अपीलकर्ता के विरूद्ध अधिनियम की धारा–49 (8) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आदेश दिनांक 30.11.2016 तथा 30.11.2016 द्वारा क्रमशः रु0–51,200.00 तथा रु0–61,184.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, जिसके संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल क्रमशः अपील संख्या–278/2017 तथा 279/2017 पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2024 तथा 29.08.2024 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित अर्थदण्ड रु0–51,200.00 तथा रु0–61,184.00 को अपास्त किया गया है। अतः उक्त अपील में अर्थदण्ड के रूप में जमा धनराशि रु0–51,200.00 तथा रु0–61,184.00 का समायोजन उक्त अधिक जमा धनराशि रु0–97,91,958.00 में करने के पश्चात् कुल अधिक जमा धनराशि रु0–99,04,342.00 आती है, जो कि अपीलकर्ता को नियमानुसार वापसी योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही करेंगे।"

इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि संविधाओं के निष्पादन हेतु विपक्षी को प्राप्त शुद्ध धनराशि तथा टीडीएस की कटौती निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	संविदी विभाग का नाम	वर्ष में प्राप्त धनराशि अनाच्छादित धनराशि को छोडकर	मैटीरियल की अनुमन्य धनराशि अधिकतम 20 प्रति0 तक	समाधान योग्य शुद्ध धनराशि
1	Exe eng cons Div-2 PWD Almora (agreement no. 22/PD/PMU/ADB/2014 dt. 18.09.2014)	रु0 23,08,90,182.00	–	रु0 23,08,90,182.00
2	Exe eng cons Div PWD Rudrapur (agreement no. 21/PD/PMU/ADB/2014 dt. 18.09.2014)	रु0 18,31,02,410.00	–	रु0 18,31,02,410.00
3		रु0 41,39,92,592.00		रु0 41,39,92,592.00

श्रोत पर व्यापार कर की कटौती
रु0 3,45,31,524.00

इस बिन्दु पर भी कोई विवाद नहीं है कि संविदा कार्यों के सापेक्ष अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड 2 लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा संबंधित वर्ष में व्यापारी

ह0/दि0– 19/02/2026 (अंजलि बैंजवाल)

ह0/दि0– 19/02/2026 (मलिक मजहर सुलतान)

को सकल धनराशि रु0 39,24,23,005/– के स्थान पर शुद्ध भुगतान रु0 23,08,90,182/– किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि सिविल संविदाकारों के संबंध में समाधान राशि का आगणन सकल राशि पर किया जाए या प्राप्त शुद्ध राशि पर किया जाए। इस संबंध में मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी की गयी एक मूश्त समाधान योजना जो दिनांक 21/06/2016 को लागू की गयी, का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त योजना के प्रस्तर संख्या 9 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख गया है कि जो संविदाकार इस योजना को अपनाएंगे, वो निर्धारित प्रारूप संख्या 723 में निर्धारक प्राधिकारी को संविदा की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा संविदा के निष्पादन के संबंध में **प्राप्त किये गये भुगतान पर** आगणित समाधान राशि प्रार्थना पत्र के साथ जमा की जाएगी। यदि हम विकल्प प्रार्थना पत्र प्रारूप 723 को देखे तो इसके कॉलम संख्या 10 से लेकर 15 तक, से यह स्पष्ट होता है कि समाधान राशि का आगणन प्राप्त भुगतान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के आलोक में विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा टीडीएस एवं विपक्षी को वापसी योग्य धनराशि का समायोजन, समाधान राशि से करने के उपरांत अधिक जमा धनराशि विपक्षी को वापस करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा तर्कों के दौरान यह कथन किया गया है कि उसकी संविदा विभाग द्वारा निरस्त कर दी गयी है तथा उसे शेष भुगतान नहीं मिला है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित राज्य प्रतिनिधि के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि टीडीएस की कटौती का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि संविदी विभाग के द्वारा जारी दो प्रारूप 8 की छायाप्रति दाखिल की गयी है। अतः विद्वान राज्य प्रतिनिधि का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

विद्वान राज्य प्रतिनिधि के द्वारा एक तर्क यह दिया गया कि विपक्षी के ऊपर अधिनियम की धारा 49 (8) के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर इस अर्थदण्ड की धनराशि का समायोजन समाधान राशि में करके त्रुटिकारित की गयी है तथा अपील मेमों में अधिनियम की धारा 49 (8) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है। किन्तु उक्त निर्णण के विरूद्ध द्वितीय अपील दायर नहीं की गयी है। जब प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड को अपास्त कर दिया गया है, तो अर्थदण्ड के रूप में जमा धनराशि का समायोजन वैट अधिनियम की धारा 36 (1) के अन्तर्गत विपक्षी की

देयता के प्रति किया जा सकता है। वैट अधिनियम की धारा 36 (1) निम्न प्रकार है–

"36. Refund-

(1) Subject to other provisions of this Act and the Rules made thereunder, the Assessing Authority shall, refund to a person the amount of tax, penalty and interest, if any, paid by such person in excess of the amount due from him:

***Provided** that the amount found to be refundable shall first be adjusted towards the tax or any other amount outstanding against the dealer under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956, or the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 and only the balance, if any, shall be refunded."*

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि विद्वान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा व्यापारी को प्राप्त शुद्ध भुगतान पर समाधान शुल्क का आगणन कर कोई त्रुटिकारित नहीं की गयी है तथा वैट अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत विपक्षी को वापसी योग्य धनराशि का समायोजन समाधान राशि में करना भी विधि मान्य है। दायर द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

विभाग द्वारा योजित द्वितीय अपील संख्या **10/2025 (वर्ष 2015–16) धारा 25 (7)** अस्वीकार की जाती है। प्रथम अपील संख्या 53/2024 **(वर्ष 2015–16)** सर्वश्री एम0बी0एल0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 बनाम आयुक्त–कर, उत्तराखण्ड के मामले प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–08–2024 को पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0– 19/02/2026	ह0/दि0– 19/02/2026
(अंजली बैंजवाल)	(मलिक मजहर सुलतान)
सदस्य,	अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,	वाणिज्य कर अपील अधिकरण
उत्तराखण्ड, देहरादून।	उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः– 19 फरवरी, 2026

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/